



2026:AHC-LKO:2111

इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

लखनऊ पीठ

रिट - ए संख्या - 14910 सन् 2025

अचे लाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव,

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के माध्यम से, और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आद्या अंत्य, वेदांत श्रीवास्तव, वीरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिपक्षी संख्या 1, 2 एवं 3 की ओर से राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. आदेश पारित किए जाने के दृष्टिगत, विपक्षी पक्ष संख्या 4 को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।
3. यह याचिका दिनांक 18.11.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों के आश्रितों की सेवा में नियुक्ति नियमावली, 1974 [जिसे आगे '1974 की नियमावली' कहा जाएगा] के अंतर्गत इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा होने के कारण उत्तराधिकार का निर्धारण करना असंभव है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह मृतक रणजीत कुमार का भाई है, जिसकी सेवा में रहते हुए दिनांक 27.09.2025 को मृत्यु हो गई। यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि प्रतिपक्षी संख्या 4, श्रीमती अरुणा देवी, मृतक की पत्नी है, किन्तु उसके और मृतक के मध्य संबंध तनावपूर्ण थे, जिसके कारण वह पृथक रह रही थी तथा वास्तव में याचिकाकर्ता ही अपने वृद्ध माता-पिता सहित मृतक की देखभाल कर रहा था। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता बेरोजगार है, अतः उसे प्रतिपक्षी संख्या 4 की अपेक्षा अनुकम्पा नियुक्ति का अधिमान्य अधिकार प्राप्त है, किन्तु यह पक्ष आक्षेपित आदेश में विचारित नहीं किया गया, जबकि याचिकाकर्ता के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा विद्यमान है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 08.01.2026 के लिखित निर्देश प्रस्तुत किए, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया, तथा उनके आधार पर यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 दोनों ने स्वर्गीय रणजीत कुमार की मृत्यु के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति का दावा किया है। यह कहा गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया, किन्तु प्रतिपक्षी संख्या 4 मृतक की अविवाहित-विच्छेदित पत्नी होने के कारण उसने भी आवेदन प्रस्तुत किया है तथा विशेष रूप से पंजीकृत वसीयतनामे के दृष्टिगत दोनों पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करना कठिन है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेषकर आक्षेपित आदेश, के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वर्गीय रणजीत कुमार की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी श्रीमती अरुणा देवी तथा मृतक के भाई होने के नाते याचिकाकर्ता दोनों ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता दिनांक 19.06.2025 के पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर दावा कर रहा है, जबकि प्रतिपक्षी संख्या 4 स्वयं को मृतक की पत्नी होने के आधार पर दावा कर रही है।

7. आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है कि संबंधित प्राधिकारी ने दोनों पक्षों में से किसी को भी अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की, क्योंकि परस्पर विरोधी दस्तावेजों के कारण पात्रता का निर्धारण करना कठिन था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. 1974 की नियमावली के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि आवेदनकर्ता नियम 2(ग) में परिभाषित 'परिवार' की श्रेणी में आता हो। 'पति/पत्नी' का उल्लेख नियम 2(ग)(i) में तथा 'अविवाहित भाई' का उल्लेख उसी नियम के उप-नियम (iv) में किया गया है।

9. यह भी प्रासंगिक है कि नियम 4 में 1974 की नियमावली को अन्य नियमों अथवा आदेशों पर प्रभावी माना गया है तथा नियुक्ति की प्रक्रिया नियम 5 में वर्णित है।

10. यह भी महत्वपूर्ण है कि 1974 की नियमावली के नियम 7 में ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख है, जब मृतक के परिवार के एक से अधिक सदस्य रोजगार की मांग करते हैं।

11. नियम 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वितीय उपबंध के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदनकर्ता मृतक सरकारी सेवक पर आश्रित रहा हो। नियम 6 में रोजगार हेतु आवेदन की विषयवस्तु का उल्लेख है तथा विशेष रूप से मृतक के परिवार के सभी सदस्यों, उनके वैवाहिक स्तर, रोजगार, आय तथा परिवार की आर्थिक स्थिति का विवरण अपेक्षित है।

12. नियम 7 में यह उपबंधित है कि जब मृतक के परिवार का एक से अधिक सदस्य रोजगार चाहता हो, तब कार्यालयाध्यक्ष उपयुक्त व्यक्ति के संबंध में निर्णय करेगा। यह भी प्रावधानित है कि निर्णय संपूर्ण परिवार, विशेषकर विधवा एवं नाबालिग सदस्यों के समग्र हित एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

13. अतः यह स्पष्ट है कि परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामे का अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किए जाने से कोई संबंध नहीं है। केवल यह देखा जाना आवश्यक है कि रोजगार हेतु आवेदन करने वाला व्यक्ति उक्त नियुक्ति हेतु उपयुक्त है या नहीं। ऐसी उपयुक्तता का निर्धारण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि आवेदनकर्ता मृतक कर्मचारी पर आश्रित था या नहीं। एक अनिवार्य शर्त के रूप में नियम 7 के अनुसार संपूर्ण परिवार, विशेषकर विधवा एवं नाबालिग सदस्यों के हित एवं कल्याण को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. ऐसी परिस्थितियों में कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व है कि वह न केवल मृतक कर्मचारी के परिवारजन की आश्रितता का निर्धारण करे, बल्कि यह भी विचार करे कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाला व्यक्ति विधवा एवं मृतक परिवार के नाबालिग सदस्यों की देखभाल करने में सक्षम है या नहीं।

15. वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया है, किन्तु इस न्यायालय के विचार में उक्त तथ्य उसके आवेदन के विचारण के प्रयोजन हेतु अप्रासंगिक है। कार्यालयाध्यक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह याचिकाकर्ता तथा प्रतिपक्षी संख्या 4, दोनों के आवेदनों पर केवल 1974 की नियमावली, विशेषकर नियम 2, 6 एवं 7 के अनुसार विचार करे।

16. यह भी पक्षकारों के मध्य स्वीकार है कि मृतक एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 के मध्य कोई तलाक की डिक्री पारित नहीं हुई है, अतः प्रतिपक्षी संख्या 4 अभी भी मृतक की पत्नी की स्थिति में है, जिसे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विचारित किया जाना आवश्यक है। मात्र यह तथ्य कि वह मृतक से पृथक रह रही थी, विशेष महत्व नहीं रखता, विशेषकर जब आक्षेपित आदेश के अनुसार मृतक की एक पुत्री, कु. अल्का, भी है, जिसके अधिकारों पर भी, यदि वह वयस्क है, विचार किया जाना आवश्यक होगा।

17. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह स्पष्ट है कि दिनांक 18.11.2025 का आक्षेपित आदेश 1974 के प्रासंगिक नियमों पर विचार किए बिना पारित किया गया है, अतः उसे उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी कर निरस्त किया जाता है। साथ ही परमादेश प्रकृति की रिट जारी करते हुए प्रतिपक्षी संख्या 3, अर्थात् अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड, लखीमपुर खीरी को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 श्रीमती अरुणा देवी द्वारा प्रस्तुत अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों का 1974 की नियमावली तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में नवीन सिरे से यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय करे। उक्त प्रयोजन हेतु याचिकाकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा मृतक के परिवार के सभी प्रासंगिक सदस्यों, जिसमें पुत्री भी सम्मिलित है, को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

18. अतः, याचिका सफल होती है और अंगीकरण के स्तर पर ही स्वीकृत की जाती है। पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

आदेश दिनांक :- जनवरी 12, 2026

लक्ष्मण

(माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।